राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2108/2016..जिला..जयपुर...

उनवान – मैसर्स कमल स्पॉज स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, बगरू जयपुर बनाम् 1. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचंन, राजस्थानं वृत प्रथम, जयपुर 2. अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

17/10/2016

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री एस.के.जैन एवं विभाग की ओर से श्री एन.के. बैद, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 24, 25(4) एवं 55 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

अ.सं.	कर नि. वर्ष	अपी.अधिकारी की अपील सं.	अपी. अधि. के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अ.अधि. द्वारा स्थगित राशि	कर बोर्ड के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि
1	2	3	4	5	6
2108/16	13–14	अ.प्रा.–II/स्थ/अ.स. 185	97,683	–	97,683

अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2016 से अस्वीकार करते हुए आदेश पारित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। विद्वान अभिभाषक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा SB Sales Tax Revision No. 298/2011 निर्णय दिनांक 13.04.2016 की छायाप्रति पेश कर कथन किया कि उक्त निर्णय के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सम्पूरित संव्यवहार अंतर्राज्यीय बिक्री के संव्यवहार नहीं है। अतः उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 6 में वर्णित राशि को स्थगित करने का निवेदन किया है तथ प्रकरण एवं सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी ।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश दिनांक 08.09.2016 का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली की रोक पर प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.................2.

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2108/2016...जिला...जयपुर...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	-: 2 :-	
17/10/2016	उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में व्यवहारी द्वारा क्लेम्ड आई.टी.सी. रूपये 1,77,50,358/- में से 1,35,70,115/- की आई.टी.सी. सत्यापित एवं रूपये 41,80,243/- असत्यापित पायी गई है, कर निर्धारण अधिकारी ने सत्यापित आई.टी.सी. का समायोजन किया है एवं असत्यापित आई.टी.सी. का सत्यापन होने पर तदानुसार समायोजन की कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये है। चूंकि आई.टी.सी का सत्यापन किया जाना शेष है एवं प्रकरण अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है, अतः प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि रूपये 97,683/- की वसूली कार्यवाही पर इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	